विषय–छात्रसंघ निर्वाचन वर्ष 2007–08 की प्रक्रिया के संबंध में जारी निर्देश/ अतिरिक्त निर्देश के संबंध में स्पष्टीकरण ।

....

विषयांतर्गत दिनांक 18.8.07 को महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ प्रस्तुत सचिव उच्च शिक्षा की चर्चा के अंतर्गत जारी अतिरिक्त निर्देशों के साथ बिंदु क्रमांक 4 के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है –

1. जिन महाविद्यालयों में 3 से 11 तक कक्षाएँ / सेक्शन हैं वहाँ प्रत्येक सेक्शन से एक के स्थान पर आवश्यकतानुसार दो/तीन या चार कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित किये जा सकते हैं । यह कक्षा प्रतिनिधि 23.08.07 की शाम को छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे।
2. यह व्यवस्था महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु की जायेगी ।
3. इन्हीं कक्षा प्रतिनिधियों में से ही 4 छात्र संघ पदाधिकारियों जो कि समिति के अध्यक्ष भी होंगे एवं समितियों के सदस्य चुने जायेंगे ।
4. आयु सीमा के बंधन के संबंध में स्नातकोत्तर के छात्रों के लिये आयु सीमा 25 वर्ष अधिकतम होगी । सभी छात्रों के लिये आयु सीमा की गणना दिनांक 1.7.07 की स्थिति में की जाएगी ।
5. अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष या इसके पश्चात् की कक्षाओं के प्रतिनिधि ही पात्र होंगे ।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.